आवश्यक
पंचायत आम चुनाव, 2021

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या- पं0नि0 30-106/2015 – 1048

प्रेषक,

योगेन्द्र राम,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)।

पटना, दिनांक - 26.2.21

विषय : पंचायत आम निर्वाचन, 2021 : मतदान के दिन मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में निदेशानुसार कहना है कि बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 60 में मतदाताओं की पहचान से संबंधित प्रावधान हैं। उक्त नियम के उप नियम (1) के अनुसार **पीठासीन पदाधिकारी आयोग द्वारा यथानिर्देशित अभिलेखों, कागजातों/प्रमाण-पत्रों के आधार पर किसी मतदाता की पहचान विनिश्चित करायेगा।**

2. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि पंचायत निर्वाचन 2021 के दौरान मतदान के दिन मतदाताओं की पहचान हेतु प्राथमिक दस्तावेज के रूप में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को आधार माना जायेगा। **जिन मतदाताओं के निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं बन पाये हैं अथवा जो मतदाता विशेष कारणवश अपना फोटो पहचान पत्र मतदान तिथि को पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नही कर पाते हैं, उनके लिए निम्नांकित 16 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज अपनी पहचान स्थापित करने हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक होगा :-**

(1) आधार कार्ड।
(2) फोटोयुक्त पेन्शन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेन्शन बुक/पेन्शन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक की विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र/वृद्धावस्था पेन्शन आदेश/विधवा पेन्शन आदेश;
(3) श्रम मन्त्रालय योजना अन्तर्गत जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड;
(4) एम.एन. आर. ई. जी.एस. (मनरेगा) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अधीन जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड;
(5) राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.) के अन्तर्गत भारत के महापंजीयक (आर.जी.आई.) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड;
(6) बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गयी फोटोयुक्त पासबुक;
(7) आयकर पहचान पत्र (PAN Cards);
(8) राज्य/केन्द्र सरकार के कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र;

(9) ड्राईविंग लाईसेंस;
(10) सांसदों/विधायकों/पार्षदों को जारी किये गये आधिकारिक पहचान पत्र;
(11) फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र;
(12) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र;
(13) फोटोयुक्त शस्त्र लाईसेंस;
(14) पासपोर्ट
(15) फोटोयुक्त सम्पत्ति दस्तावेज यथा पट्टा, रजिस्ट्रीकृत केवाला इत्यादि;
(16) मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी/विद्यार्थी फोटोयुक्त पहचान पत्र।

3. उपर्युक्त दस्तावेजों की मान्यता तभी दी जायेगी, जब वे मूल रूप में प्रस्तुत किये जायें। पहचान हेतु दस्तावेज की फोटो कॉपी प्रस्तुत करने पर उसे पीठासीन पदाधिकारी द्वारा किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर अंकित दस्तावेजों में अगर कोई दस्तावेज परिवार के मुखिया के नाम से हो, उसे भी परिवार के अन्य सदस्यों की पहचान के लिए स्वीकार किया जायेगा, बशर्त्ते कि सभी साथ आयें एवं उस दस्तावेज के आधार पर उनकी पहचान करना संभव हो।

4. पीठासीन पदाधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिया जाए कि निर्वाचक पहचान पत्र में निर्वाचक के नाम, पिता/माता/पति का नाम, लिंग, आयु या पता से संबंधित प्रविष्टियों में मामूली अथवा साधारण विसंगतियों को नजर अंदाज कर निर्वाचकों को मत देने की अनुमति दी जानी चाहिए, जबतक कि उस पहचान पत्र से निर्वाचक की पहचान स्थापित होती है। मतदाता सूची में यथादर्शित निर्वाचक पहचान पत्रों की क्रम संख्या में कोई विसंगति भी नजर अंदाज कर दी जायेगी।

5. कृपया आयोग के इस निर्णय से सभी निर्वाची पदाधिकारियों/पीठासीन पदाधिकारियों एवं पंचायत निर्वाचन से संबंधित अन्य पदाधिकारियों को भलीभाँति अवगत करा दी जाय। आयोग के इस निर्णय का अपने स्तर से मतदाताओं की जानकारी के लिए भी व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे। इस बात को स्पष्ट किया जाना चाहिए कि जिनको निर्वाचक फोटो पहचान पत्र निर्गत किये गये हैं, वे अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र साथ लायें तथा, जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी नहीं किये गये हैं, वे आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज मतदान के समय अवश्य अपने साथ लायें अन्यथा मतदान करने से उन्हें वंचित कर दिया जाएगा।

विश्वासभाजन,

सचिव।

ज्ञापांक - पं.नि.30-106/2015 - 1048 पटना, दिनांक - 26.2.21

निदेशानुसार प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार/अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक - पं.नि.30-106/2015 - 1048 पटना, दिनांक - 26.2.21

प्रतिलिपि, श्री राजेश कुमार, आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।

सचिव। 26/02/2021

D:\pm5\P_E_Sanchalan_21/64